न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट/रीवा

प्र.क्र. III/निग./रीवा/17/3366

जिला रीवा (म0प्र0)

कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10/-

1:– रामप्रसन्न विश्वकर्मा उम्र 58 वर्ष । दोनो के पिता श्रीरामावतार
2:– अरूण कुमार विश्वकर्मा उम्र45वर्ष । विश्वकर्मा
दोनों निवासी ग्राम – बरा पैपखार 396 तहसील – हुजूर जिला रीवा म0 प्र 0 ——————— निगरानीकर्तागण

बनाम

1:– श्रीमती सावित्री विश्वकर्मा पति श्री रामनिवास विश्वकर्मा निवासी ग्राम बरा पैपखार 396 तह0 हुजूर जिला रीवा म0 प्र 0
2:– शासन म0 प्र 0 राज्य ——————— गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदक क्रमांक 2 श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा स्वतः प्रस्तुत किया गया है 18-9-17

18-9-17

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0 के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 49 / अ 12 / 06 / 017 मे पारित सीमांकन पुष्टी आदेश दिनांक 06 / 07 / 2017 बावत भूमि खसरा क्रमांक 322 रकवा 0.247हे0यानी 0. 61 ए0 स्थित ग्राम – बरा पैपखार 396 तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र 0 केसम्बंधमे

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता सन 1959 ई 0

अरुण कुमार विश्वकर्मा

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3366

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 49/अ-12/06/017 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदिका क्रमांक 1 श्री मती सावित्री पति श्री रामनिवास विश्वकर्मा निवासी ग्राम बरा पेपखार 396 तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा आराजी क्रमांक 322 रकबा 0.247 भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक द्वार दिनांक 18.05.17 को सूचना पत्र जारी कर सरहदी कास्तकारों को सूचना दी एवं दिनांक 23.05.17 को स्थल पंचनामा तैयार किया जाकर जिस पर छकोरी लाल, बुद्ध सेन, रामगोपाल आदि के हस्ताक्षर हैं। अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा दिनांक 15.06.17 को आपत्ति प्रस्तुत की,कि स्वत्व का कोई विवाद नहीं है किन्तु पटवारी के पास जो नक्शा वर्तमान में वह पूरी तरह राबूद व फटा हुआ है, जिसमें खेतों की लकीर स्पष्ट नहीं है किन्तु उक्त राबूद नक्शा के आधार पर मनमानी तरीके से हलका पटवारी द्वारा जो नाप की गई है वह त्रुटिपूर्ण थी, लेकिन उसके पश्चात भी	

आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त की।प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पटवारी द्वारा सरहदी कास्तकारों को सूचना दी गई तथा पटवारी द्वारा सीमांकन के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है इसिलिए राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.07.17 को आदेश पारित किया गया है वह विधि के अनुसार सही है। अत: आवेदकगण चाहें तो वह अपना सीमाकंन कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 49/अ-12/06/017 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य